न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 133/2018 दायरा दिनांक : 21.08.2018

उनवान

रमेश चन्द आयु 32 साल पुत्र कालू, जाति मेघवाल, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

कैलाश चन्द पुत्र बगदूलाल, जाति मेघवाल, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.01.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – प्रा0पत्र/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट ने अपीलांट के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय के यहां ग्राम हिदायतनगर, पटवार हल्का रतनपुरा की आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा में आने जाने के लिए अपीलांट एवं अन्य खातेदार की आराजी खसरा

नम्बर 101 रकबा 10 बिस्वा में निकलने हेतु रास्ते बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें अप्रार्थी अपीलांट की तलबी व जवाबदावा व दस्तावेज पेश हो जाने के बाद पत्रावली आई एल आर की रिपोर्ट में चल रही थी तथा दिनांक 04.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प जगदीशपुरा में अप्रार्थी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है जो अपास्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुने निर्णय पारित किया है जो प्राकृति न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । पत्रावली में तनकीयात भी कायम नहीं हुई तथा दोनों पक्षों की साक्ष्य भी नहीं हुई जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री मनमाना है, परवर्स है तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.08.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अध्ययन व नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 91 से रास्ता दिया जाना अधिक तार्किक है । अतः हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं । अधीनस्थ न्यायालय नियमानुसार उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट मंगवाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निम्नानुसार की मौका रिपोर्ट मंगवाकर एवं इस बिन्दु पर अपना निर्णय पारित करते हुए कि पक्षकार को कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है या नहीं तथा पक्षकार के खेत में से रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है यह भी जांच करें कि पक्षकार पूर्व में अपने खाते में जमीन में किस प्रकार आते जाते रहे हैं एवं पत्रावली पर खसरा नम्बर 91 से रास्ता देने की स्पष्ट परीक्षण व विवेचना भी करें । उपरोक्त बिन्दुओं पर परीक्षण करते हुए धारा 251 (क) के नियमों को मध्य नजर रखकर पुनः प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.04.2020 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा